जीसीएमएस नबंरः–2026/26

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर।

पीठासीन अधिकारीः सुभाष कुमार, आर0ए0एस0

निगरानी पंचायत प्रकरण सं0

05/2026

1. पूर्णराम पुत्र श्री हरीराम जाति नायक निवासी वार्ड नम्बर 07, तताारसर तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

निगरानीकर्ता

बनाम

1. रतीराम पुत्र श्री ईसर राम जाति नायक निवासी सुंई तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर (राज0)
2. ग्राम पंचायत तताारसर जरिये प्रशासक/सचिव ग्राम पंचायत तताारसर तहसील व जिला श्रीगंगानगर

गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी विरूद्व आदेश ग्राम पंचायत तताारसर संकल्प संख्या 03 दिनांक 24.01.1988 के द्वारा एक अहाता नम्बर 86 जो 1320 वर्गफुट है, जो अप्रार्थी संख्या 01 रतीराम को निःशुल्क आवंटन किया गया है, को निरस्त कर अहाता प्रार्थी निगरानीकर्ता को आवंटन करने का आदेश ग्राम पंचायत तताारसर को जारी करने हेतु। निगरानी प्रार्थना पत्र पंचायती राज अधिनियम 1994।

उपस्थित :–

1. श्री जसराम टाक अधिवक्ता निगरानीकर्ता
2. श्री मोहन लाल माहर अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता

:: आदेश :: दिनांकः 19.05.2026

हस्तगत निगरानी अदालत के समक्ष प्रस्तुत हुई, जिसके सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि :–

1. यह कि मातहात अदालत ग्राम पंचायत तताारसर (31 जी.जी.) द्वारा आदेश संकल्प संख्या 03 दिनांक 24.01.1988 के अहाता संख्या 86 के बाबत जारी किया गया है , जो बिना कोई सार्वजनिक सूचना जारी किया गया है, जो एक पक्षीय तौर से जारी किया गया है, खारिज किये जाने योग्य है। आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि सलंग्न निगरानी हाजा है।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

2. यह कि गैरनिगरानीकर्ता मूल रूप से गांव सुंई तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर का निवासी है, जहां उसके पास पुराना रिहायशी मकान व कृषि भूमि है। अप्रार्थी विवादित भूखण्ड आवंटन के समय दिनांक 24.01.1988 को चक 10 एल.एल. ग्राम पंचायत तटारसर तहसील व जिला श्रीगंगानगर का मूल निवासी नहीं था, इसलिये वह विवादित भूखण्ड को आवंटन करवाने का पात्र भी नहीं था। उसने असल तथ्य छुपाकर गलत तथ्य पेश कर उक्त आवंटन करवाया है, जो खारिज किये जाने योग्य है।

3. यह कि विवादित भू–खण्ड पर अप्रार्थी का कब्जा ना तो आवंटन से पहले था वा ना ही आवंटन के पश्चात उसका कब्जा रिहायश व निर्माण था। विवादित भू–खण्ड पर कब्जा व निर्माण व रिहायश सन् 1991–1992 से प्रार्थी के पिता की मृत्यु सन् 2019 तक उनके पिता का संयुक्त परिवार सहित था तथा उनकी मृत्यु के पश्चात उक्त भू–खण्ड पर कब्जा एवं रिहायश प्रार्थी एवं उसके परिवार का आज तक लगतार शान्ति पूर्वक चला आ रहा है। प्रार्थी गांव तटारसर का मूल निवासी है, उसका राशन कार्ड, वोटर कार्ड गांव तटारसर का है। प्रार्थी का उक्त भूखण्ड पर निर्माण व कमरा चार दीवारी बनी है। मकान में बिजली का सम्बन्ध प्रार्थी के पिता हरीराम के नाम से जारी है। बिल एवं राशन कार्ड की फोटो कॉपी सलंग्न निगरानी प्रार्थना पत्र हाजा है। इसलिये प्रार्थी निगरानीकर्ता उक्त विवादित भूखण्ड को अपने नाम पुख्ता आवंटन का पात्र है।

4. यह कि प्रार्थी आज दिनांक 18.02.2026 को उक्त विवादित भूखण्ड को अपने नाम पुख्ता आवंटन हेतु सरपंच/प्रशासक व सचिव ग्राम पंचायत तटारसर से मिला तो पता चला कि उक्त भूखण्ड 24.01.1988 से अप्रार्थी रतीराम के नाम आवंटन व उसके नाम से पट्टा जारी है। इसलिये ग्राम पंचायत आपके नाम नया पट्टा जारी नहीं कर सकती है, तब प्रार्थी ने नकल हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जो नकल पट्टा आज दिनांक 18.02.2026 को प्रार्थी को मिली, जिस पर अपने वकील से मिलकर कानूनी सलाह लेकर जानकारी मिलने से यह निगरानी प्रार्थना पत्र पेश कर रहा है, जो ज्ञान से अन्दर मियाद है। इस सम्बन्ध में दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अलग से पेश है।

अतः निगरानी प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत तटारसर द्वारा दिनांक 24.01.1988 को संकल्प संख्या–03 द्वारा अहाता संख्या 86 जो उत्तर में 44 फुट, दक्षिण में 44 फुट औसल 44 फुट , पूर्व में 30 फुट , पश्चिम में 30 फुट औसत 30 फुट क्षेत्रफल 1320 वर्गफुट जो ग्राम पंचायत तटारसर पंचायत समिति श्रीगंगानगर तहसील

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

श्रीगंगानगर में स्थित है का पट्टा आवंटन जो रतीराम के नाम से जारी है, को रद्द किया जाकर उक्त भूखण्ड प्रार्थी पूर्णराम पुत्र हरीराम जाति नायक निवासी तत्तारसर केनाम से आवंटन का आदेश एवं निर्देश जारी किया जावें तो कृपा होगी।

निगरानी से सबंधित मूल रेकार्ड ग्राम पंचायत से तलब किया गया। निगरानीकर्ता के अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने निगरानी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम पंचायत तत्तारसर (31 जी.जी.) द्वारा आदेश संकल्प संख्या 03 दिनांक 24.01.1988 के अहाता संख्या 86 के बाबत जारी किया गया है , जो बिना कोई सार्वजनिक सूचना जारी किया गया है, जो एक पक्षीय तौर से जारी किया गया है। गैरनिगरानीकर्ता मूल रूप से गांव सुंई तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर का निवासी है, जहां उसके पास पुराना रिहायशी मकान व कृषि भूमि है। गैरनिगरानीकर्ता विवादित भूखण्ड आवंटन के समय दिनांक 24.01.1988 को चक 10 एल.एल. ग्राम पंचायत तत्तारसर तहसील व जिला श्रीगंगानगर का मूल निवासी नहीं था। इसलिये वह विवादित भूखण्ड को आवंटन करवाने का पात्र भी नहीं था। विवादित भू–खण्ड पर अप्रार्थी का कब्जा ना तो आवंटन से पहले था वा ना ही आवंटन के पश्चात उसका कब्जा रिहायश व निर्माण था। विवादित भू–खण्ड पर कब्जा व निर्माण व रिहायश सन् 1991–1992 से प्रार्थी के पिता की मृत्यु सन् 2019 तक उनके पिता का संयुक्त परिवार सहित था तथा उनकी मृत्यु के पश्चात उक्त भू–खण्ड पर कब्जा एवं रिहायश प्रार्थी एवं उसके परिवार का आज तक लगतार शान्ति पूर्वक चला आ रहा है। प्रार्थी गांव तत्तारसर का मूल निवासी है, उसका राशन कार्ड, वोटर कार्ड गांव तत्तारसर का है। प्रार्थी का उक्त भूखण्ड पर निर्माण व कमरा चार दीवारी बनी है। मकान में बिजली का सम्बन्ध प्रार्थी के पिता हरीराम के नाम से जारी है। इसलिये निगरानीकर्ता उक्त विवादित भूखण्ड को अपने नाम पुख्ता आवंटन का पात्र है। अतः निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत तत्तारसर द्वारा दिनांक 24.01.1988 को संकल्प संख्या–03 द्वारा अहाता संख्या 86 जो ग्राम पंचायत तत्तारसर पंचायत समिति श्रीगंगानगर तहसील श्रीगंगानगर में स्थित है का पट्टा आवंटन जो रतीराम (गैरनिगरानीकर्ता) के नाम से जारी है, को रद्द किया जाकर उक्त भूखण्ड प्रार्थी पूर्णराम पुत्र हरीराम जाति नायक निवासी तत्तारसर के नाम से आवंटन का आदेश फरमाया जावें।

अधिवक्ता गैरनिगरानकर्ता द्वारा अपनी बहस में कथन किया कि निगरानीकर्ता के अधिवक्ता द्वारा जो अपनी बहस में कथन किये है वह स्वीकार

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

किये जाने योग्य है। अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता द्वारा निगरानीकर्ता के कथनों पर कोई आपत्ति पेश नहीं की है।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया । पत्रावली एवं उपलब्ध रेकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया गया।

निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी ग्राम पंचायत ततारसर (31 जी.जी.) द्वारा संकल्प संख्या 03 दिनांक 24.01.1988 से अहाता संख्या 86 का जो पट्टा जारी किया गया है के विरूद्व पेश की है। उक्त विवादित अहाता पर निगरानकर्ता का कब्जा राशन कार्ड, वोटर कार्ड गांव ततारसर के होने व बिजली का बिल निगरानीकर्ता के पिता के नाम से होने के कारण प्रमाणित होता है, परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा उक्त विवादित भूखण्ड का पट्टा गैरनिगरानीकर्ता के नाम से संकल्प संख्या 03 दिनांक 24.01.1988 को जारी किया गया है। फलस्वरूप निगरानीकर्ता की निगरानी आंशिक स्वीकार की जाकर निगरानी इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की जाती है कि ग्राम पंचायत गैरनिगरानीकर्ता से अपनी उपस्थिति में उसकी पहचान कर व उससे इस आश्य का शपथ पत्र प्राप्त कर की अगर उक्त भूमि का पट्टा निगरानीकर्ता के नाम से जारी किया जाता है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है। गैरनिगरानीकर्ता के नाम जारी पट्टा निरस्त कर निगरानीकर्ता के नाम से पट्टा जारी करने हेतु स्वतन्त्र है। आदेश की प्रति मय रेकॉर्ड ग्राम पंचायत को पालनार्थ भिजवायी जावें।

आदेश आज दिनांक 19.05.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

(सुभाष कुमार)
अति0 जिला कलक्टर
(प्रशासन) श्रीगंगानगर

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner